

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर


क्रमांक / न्याय / 2022/340

दिनांक 09/11/2022

नीलामी स्वीकृति आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के द्वारा इस्तगासा प्रकरण संख्या 35/2022 में पारित निर्णय दिनांक 30/06/2022 की पालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा जप्तशुदा लकडी की नीलामी दिनांक 20/07/2022 एवं दिनांक 11/10/2022 को क्रमशः 1750 रूपयें तथा 10850 रूपयें में अन्तिम बोली लगाई गई है। पूर्व में दो बार नीलामी के प्रयासों के विरुद्ध तीसरी बार दिनांक 04/11/2022 को 13150 रूपयें में नीलामी की अन्तिम बोली आई है। तीन बार के प्रयासों के उपरान्त प्राप्त अधिकतम नीलामी बोली राशि 13150 रूपयें को स्वीकृत किया जाता है।

अतः तहसीलदार जोबनेर को निर्देशित किया जाता है कि अन्तिम बोलीदाता तेजा राम पुत्र नानू राम जाति जाट निवासी प्रतापपुरा तहसील जोबनेर द्वारा लगाई गई नीलामी बोली 13150 रूपयें की शेष राशि जमा करवाने के बाद ही जप्तशुदा पेड़ों की लकड़ियों का कब्जा बोलीदाता को सम्भलाया जावे।



09/11/2022
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

क्रमांक / न्याय / 2022/341

दिनांक 09/11/2022

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार जोबनेर।


उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर